न्यायालय खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम, अलवर

अनवान......सुनील..............बनाम ....रतनलाल..........

किस्म मुकदमा..........212 RT Act...... मु0 नं0..323......सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
8.11.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 10.01.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 78/0.3800, 79/1.8100 है0 वाके ग्राम माघाका माजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का जब तक रिकोर्डड तकासमा ना हो जाये तब तक कही दीगर जगह रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना ही विवादित आराजीयात के किसी भी जुज पर किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 13 उप पंजियक हरसौली विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्व व तस्दीक करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोडा एक्ट पत्रावली व किसी भी न्यायालय की डिकी, निर्णय, आदेश पर प्रभावी नही होगी। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 10.01.2022 उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम	
10/1/22	वादी वकील उप.। RAD मंगवाने जारी होकर पत्रावली दि. 21.3.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)	
21/3/22	वास्ते RAD तलबी पत्रावली दिनांक [illegible]/22 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)	
30/5/22 struck off dead summary	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने अपना मूल वाद विड्रो कर लिया है बगैर मूल वाद इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फैसला मुताबिक हाकिम नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील लेखा मजाप हो। उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)	